

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल- 462024

फोन :- (0755) 2478250 से 253 फेक्स :- 0755 - 2450896

e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल दुग्ध संघ के फ़ैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के हबीबगंज स्थित फ़ैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। फ़ैक्ट्री गेट पार्लर के संचालक के चयन की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 02.09.2023 को www.mptenders.gov.in से रु.1000/- के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.09.2023 समय 02:00 बजे तक
3.	ई-निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 25.09.2023 एवं समय 12:00 बजे से, ऑन लाइन, भोपाल दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.100000/- (राशि रु. एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रु.1000/- ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर निरंतर दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन

हेतु ई-निविदा प्रपत्र

वर्ष 2023-2026



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024

दूरभाष – 0755-2481995

फैक्स नम्बर – 0755-2450896

E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर संचालन का कार्य आवंटन हेतु
ई-निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	02.09.2023 दोपहर 12.00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	22.09.2023 दोपहर 02:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	25.09.2023 दोपहर 12:00 बजे बोर्ड मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	रू. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से
5	पार्लर संचालन कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताएं" का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	पार्लर संचालन की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	"भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 04

तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- निविदाकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के फ़ैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक
.... को राज एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में
वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा
निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रु.
100,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की रसीद क्रमांकदिनांक संलग्न कर रहा हूँ।

आवश्यक अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का जी.एस. टी नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें।
5.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) के पास वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में संयुक्त रूप से 05 करोड़ का टर्न ओव्हर, का होना अनिवार्य है।		टर्न ओव्हर की प्रमाणिकता हेतु सी. ए द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6.	निविदाकर्ता सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) के पास दुग्ध उत्पाद विक्रय कार्य अथवा एफ.एम.सी.जी. कार्य का एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस का होना अनिवार्य है।		तदाशय के एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम. डी. राशि रु.100000/- (एक लाख रुपये) की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.100000/- (एक लाख रुपये) की रसीद संलग्न करें।
8.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी को किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से कभी		तदाशय के रु.100/- नोटरीज्ड स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु

	भी, किसी भी कार्य से ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं निविदाकर्ता का किसी भी मा. न्यायालय एवं पुलिस थाने में कोई भी आपराधिक प्रकरण/वाद दर्ज नहीं है।		प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है।
9	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) को दुग्ध उत्पाद विक्रय कार्य अथवा एफ.एम.सी.जी कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय के अनुभव हेतु संस्था/ कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.06 पर संलग्न है।
10	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) निविदा प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करना अनिवार्य है।		निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर _____
नाम :- _____
पता :- _____

टेलीफोन नं. _____
मोबाईल नं _____

फ़ैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें

1. निविदाकर्ता को रूपये एक-एक लाख के दो जमानतदार देना अनिवार्य होगा, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक होगा।
2. जमानतदार जमानत देने पर यदि एजेन्ट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है, तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा परन्तु जमानतदार की संपत्ति संबंधी ब्यौरा का उल्लेख भी होना आवश्यक है ताकि वसूली सुनिश्चित की जा सके।
3. सफल निविदाकर्ता को रू.1000/- के नोटराईज्ड स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कर एक माह में प्रस्तुत करना होगा।
4. चयन प्रक्रिया –
 - 4.1 पार्लर एजेन्ट का चयन अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता को किया जाएगा। इस हेतु निविदाकर्ता को ऑनलाईन पार्लर का वार्षिक किराया प्रस्तुत करना होगा।
 - 4.2 पार्लर का वार्षिक न्यूनतम किराया राशि रू.1200000/- (बारह लाख रूपये) + जी.एस.टी अतिरिक्त निर्धारित किया गया है।
 - 4.3 दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू.1200000/- + जी.एस.टी से अधिकतम वार्षिक किराया राशि + जी.एस.टी अतिरिक्त प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का ई-निविदा की शर्तों के तहत नियमानुसार चयन किया जाएगा।
 - 4.4 अधिकतम वार्षिक किराया राशि ऑफर करने वाले एक से अधिक निविदाकर्ता द्वारा समान दर प्रस्तुत की जाने की स्थिति में निविदाकर्ता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से जम्बलिंग (Random Selection) अनुसार किया जाएगा।
 - 4.5 सफल निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् यदि उसके द्वारा किसी भी कारणवश निविदा छोड़ने पर सफल निविदाकर्ता की ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जाएगी।
5. निविदाकर्ता की निविदा नियमानुसार स्वीकृत होने के पश्चात् औपचारिकता पत्र जारी किया जाएगा। जिसे सफल निविदाकर्ता को एक माह के अंदर में दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा की औपचारिकताएं एक माह में नहीं की जाती हैं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
6. निविदा स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु कार्य संतोषप्रद होने व आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
7. सफल निविदाकर्ता को बतौर प्रतिभूति राशि रू.500000/- (पांच लाख रूपये मात्र) डी.डी. के माध्यम से जो कि पेयबल एट, "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह में जमा करना होगा। दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि पर पृथक से कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. मिल्क पार्लर का आवंटन होने के एक माह पश्चात् यदि एजेन्ट उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा एजेन्टशिप निरस्त की जाती है तो रू.500000/- (पांच लाख रूपये मात्र) का रिफण्ड लेने के पूर्व उसे संघ से बकाया लेनदेन क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर रिफण्ड किया जाएगा।
9. निविदा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किराया राशि स्वीकृत होने पर वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष अग्रिम जमा करना है। किराया राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के साथ जमा करना अनिवार्य होगी।

10. विद्युत/पानी/डीप फ्रीज एवं अन्य व्यय का भुगतान एजेन्ट द्वारा किया जावेगा।
11. अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. दुग्ध संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः फ़ैक्ट्री गेट पार्लर संचालक का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देना होगी एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को विक्रय करना होंगे।
13. पार्लर का रख-रखाव/उपभोक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था, टेबल कुर्सियां, कम से कम 05 डीपफ्रीजर उत्पादों के भण्डारण हेतु व्यवस्था संचालक को स्वयं के व्यय से करनी होगी।
14. **निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।**
15. फ़ैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर से संघ द्वारा प्रदायित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के ही विक्रय करने की अनुमति दी जाती है इसके अतिरिक्त एजेन्ट द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो संघ द्वारा जो भी एजेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन एजेन्ट को करना है। एजेन्ट द्वारा नियुक्त किए गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता एजेन्ट द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
16. फ़ैक्ट्री गेट पार्लर एजेन्ट को दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष उसे केवल निर्धारित (MRP) मूल्यों पर ही विक्रय करेगा। दूध का प्रदाय उक्त मार्ग के वितरक सह-परिवहनकर्ता के द्वारा रिटेलर दर पर किया जावेगा।
17. सफल निविदाकर्ता को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरुद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छःमाह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
18. संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय किया जाना है यदि संघ द्वारा एजेन्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दुग्ध पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाने पर संघ द्वारा राशि रु.5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन एजेन्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
19. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही ऐसी निविदा को निरस्त समझा जाएगा।
20. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
21. मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्समेन को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना एवं नेम बैज लगाना अनिवार्य है।
22. फ़ैक्ट्री गेट पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
23. निविदा में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं निविदा के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
24. सफल निविदाकर्ता की यदि वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कोई लेनदारी-देनदारी शेष रहती है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ की लेनदारी-देनादारी का निराकरण कर लेने एवं एन.ओ.सी प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य आदेश जारी करने की कार्यवाही व अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही की जाएगी।

25. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगा।
26. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित फेक्ट्री गेट पार्लर आवंटन की समान शर्तें भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
27. निविदाकर्ता यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
28. प्रतिभागी निविदाकर्ता को निविदा में प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं पाए जाने की स्थिति में ऐसे निविदाकर्ता की निविदा अमान्य होगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की समान्य शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है भविष्य में यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:-


मोबाइल नं

Seal

प्रपत्र क्रमांक-3

फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदाकर्ता का नाम :- _____
2. पिता/पति का नाम :- _____
3. स्थाई पता :- _____
(दूरभाष/मोबाइल नं. के साथ)
4. पत्र व्यवहार का पता :- _____
(दूरभाष/मोबाइल नं. के साथ)
5. वर्तमान व्यवसाय/कार्य :- _____
व्यवसाय पिता का या स्वयं का _____
व्यवसाय स्थान का पता (दूरभाष नं. सहित) _____
6. ई-मेल आई.डी. :- _____



मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

निविदाकर्ता का नाम

नाम _____

हस्ताक्षर _____

वित्तीय बिड (केवल अवलोकन हेतु)
निविदाकर्ता को केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी निविदा में फैक्ट्री गेट पार्लर संचालित करने के लिए मैं निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता/करती हूँ।

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के फैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन हेतु संघ को देय वार्षिक किराया राशि रु. (कर अतिरिक्त)
अंकों में	रु
शब्दों में	रु.....

नोट :-

- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर कर अतिरिक्त प्रभावशील होगा। अतः निविदाकार तदानुसार दर प्रस्तुत करें।
- वार्षिक किराया राशि केवल ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त "दरों" को निरस्त समझा जावेगा।

निविदाकर्ता का नाम

नाम _____

हस्ताक्षर _____

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी ..
.....यह कि मेरे/हमारे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध
संघ के मुख्य संयंत्र स्थित फैक्ट्री गेट पार्लर एजेन्ट कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि
मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा
रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से
अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम
अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक
प्रकरण/वाद दर्ज नहीं है।

1. गवाह
नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....
2. गवाह
नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01,
02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी
छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हमारे.....आत्मज आयु..... निवासी.....
..... द्वारा यह स्वप्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें दुग्ध उत्पाद विक्रय अथवा एफ.एम.सी.जी कार्य का कुल 05 वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हावाश एवं इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रामाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी स्वयं की होगी

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर हेतु अनुबंध-प्रपत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री..... आत्मज श्री, आयु-..... निवासी-..... (म0प्र0) (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांकको निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष को निविदा पर **फैक्ट्री गेट पार्लर** से सौची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता है।
2. यह आवंटन पूर्णतः अस्थाई है। उभय पक्षों द्वारा 90 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा (यदि पूर्व में नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस पर भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा)। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 90 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
3. **पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी।** दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेंट का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। **दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेंट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।**
4. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित किराया राशि प्रतिवर्ष अग्रिम जमा की जाएगी। किराया राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। जिसे जमा करना अनिवार्य होगा। समयसीमा में किराया राशि जमा नहीं करने पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन 30 दिवस का अग्रिम नोटिस देकर निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को 10 दिवस में पार्लर का कब्जा प्रथम पक्ष को देना होगा। ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि पार्लर पर कब्जा कर ले जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह पार्लर आवंटित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
7. **प्रथम पक्ष के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे।**
8. यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय को होगा।
9. समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल ही होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति/आवंटन के वक्त पार्लर हेतु रूपये रु.500000/- (पांच लाख रूपये मात्र) बतौर प्रतिभूति/सुरक्षा निधि प्रथम पक्ष के पास जमा कराएगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. यह कि भविष्य में प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
12. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
13. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियों की रूपये प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा (जिसमें एक सरकारी कर्मचारि होना अनिवार्य है) तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामों के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक

- रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।
14. यह कि भविष्य में प्रतिभूति/सुरक्षा निधि वापसी का निविदा नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर ही द्वितीय पक्ष को यह राशि वापस की जाएगी।
 15. द्वितीय पक्ष को आवंटित पार्लर को दुग्ध संघ द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखकर संचालन करना अनिवार्य होगा।
 16. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित, दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा।
 17. साँची पार्लर एजेन्ट अपने यहाँ किसी भी अन्य कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और न ही प्रदर्शनीय स्थल पर पम्पलेट/साइनबोर्ड प्रदर्शित करेंगे, साँची दूध व दूध पदार्थों का प्रदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। पार्लर पर भोपाल दुग्ध संघ के निर्देशानुसार निर्धारित ब्राण्डिंग ही की जाएगी। **उल्लंघन किये जाने पर कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।**
 18. उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुंच सेवा चाहता है जिस हेतु वह सेवा राशि देता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुंच सेवा के लिय बाध्य होगा। घर पहुंच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष पार्लर आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
 19. यह कि मिल्क पार्लर पर प्रथम पक्ष दुग्ध संघ का स्वामित्व है, द्वितीय पक्ष को यह पार्लर हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने साँची पार्लर को दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो संबंधित पर अन्य कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।
 20. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
 21. यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान 4 डिग्री रखकर साँची दूध व दूध पदार्थ का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
 22. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो। अर्थात् तम्बाखू, मादक पदार्थ एवं अन्य कंपनी के दूध या दूध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित होंगे तथा विक्रय करने पर रुपये 50000/- अर्थदण्ड लगाया जाएगा व पार्लर आवंटन निरस्त किया जाएगा।
 23. यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।
 24. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देंगे न ही किसी को विक्रय करेंगे। इस पार्लर/बूथ का स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे तथा वर्ष में कम से कम दो बार पार्लर की पेंटिंग एवं पुताई कराना अनिवार्य होगा।
 25. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध/दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी या दुग्ध संघ धनादेश के माध्यम से राशि प्राप्त करेगा।
 26. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही संघ में रेखांकित एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।
- A- धनादेश के अनादरित होने पर रु.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु.1000/- के मान से वसूली जावेगी। रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रु.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

- B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
- C- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
27. द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
28. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
29. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल (एम.आर.पी.) (मैक्सिमम रिटेल प्राइज) पर विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
30. सॉची पार्लर अपने यहाँ सॉची दूध एवं दूध उत्पाद के अलावा किसी अन्य कंपनी का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद न ही रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे। पार्लर के अंदर भी सॉची दूध व दूध उत्पादों का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। प्रथम पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा तो संबंधित पार्लर/बूथ संचालक को वह रखने एवं विक्रय करना अनिवार्य होगा।
31. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि को पूर्ण रूपया भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई किसी भी तरह की हेरा फेरी या इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि में की गई हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा। तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।
32. विक्रय एजेंट द्वारा दुग्ध विक्रय एवं अग्रिम कार्ड की राशि नकदी के रूप में शाखा के किसी भी कर्मचारी को नगदी में न दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि दी जाती है, तो उसकी प्राप्ति आवश्यक ली जावे।
33. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा माल की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
34. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। सॉची पार्लर खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेंगा।
35. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल उपलब्ध कराये एवं केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।
36. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष के खाली क्रेट्स का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।

37. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा। दुग्ध संघ (प्रथम पक्षकार) द्वारा की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक मीटिंग में उपस्थित होकर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।
38. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
39. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।
40. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष उसे केवल निर्धारित मूल्यों पर ही विक्रय करेगा। दूध का प्रदाय उक्त मार्ग के वितरक सह-परिवहनकर्ता के द्वारा रिटेलर दर पर किया जावेगा।
41. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
42. फैक्ट्री गेट पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
43. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
44. फैक्ट्री गेट पार्लर की निविदा प्रपत्र में वर्णित आवंटन प्रक्रिया की समान शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शर्त प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।
45. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
46. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 निविदा की नियम व शर्तें अनुबंध के भाग माने जाएंगे।
47. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांतरित की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ ली हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

मैं पिता/पति/पत्नी..... फैक्ट्री गेट पार्लर एजेन्ट अपना उत्तराधिकारी (नामिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

दिनांक :

गवाह : -	हस्ताक्षर
1. हस्ताक्षर -	1. प्रथम पक्षकार
नाम -	
पता -	
2. हस्ताक्षर -	2. द्वितीय पक्षकार
नाम -	
पता -	

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री आयु.....
..... मे है कि, कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री
..... आयु निवासी
.... के बीच आज दिनांकको पार्लर/बूथ अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत
यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये तक के नुकसान की
जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार
स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने
के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के
जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतदार:

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री आयु.....
..... मे है कि, कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री
..... आयु निवासी
.... के बीच आज दिनांकको पार्लर/बूथ अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत
यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये तक के नुकसान की
जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार
स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने
के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के
जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाहा :
हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल.....

जमानतदार:
हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल.....

गवाहा :
हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल.....